

68 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020

भाग अ

सामान्य सूचना

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ:

1. इन विनियमों को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम कहा जाएगा तथा ये तत्काल प्रवृत्त होंगे।

उद्देश्य :

2. पुरस्कार का उद्देश्य उत्कृष्ट सौंदर्य बोध, तकनीक तथा सामाजिक प्रतिबद्धता की ऐसी फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन देना है जो सिनेमाई रूप में देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों की समझ एवं विवेचन में योगदान तथा साथ ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं। इन पुरस्कारों का उद्देश्य पुस्तकों, लेखों, समीक्षाओं आदि के प्रकाशन के माध्यम से कला रूप में सिनेमा के अध्ययन तथा विवेचन की ओर इस कला के रूप संबंधी सूचना के प्रसार और समालोचनात्मक विवेचन को भी प्रोत्साहन देना है।

परिभाषा :

3. इन विनियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) बोर्ड से केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड अभिप्रेत है।

(ख) निदेशालय से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फ़िल्म समारोह निदेशालय अभिप्रेत है।

(ग) पुरस्कार से राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार अभिप्रेत है।

(घ) निर्माता से वैयक्तिक निर्माता, निर्माण कंपनी, सरकारी विभाग या सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान शामिल हैं।

(ङ) अधिकार धारक से निगेटिव का स्वामी, जो किसी फ़िल्म विशेष के लिए प्रयोगशाला में चलचित्र की फ़िल्मों के प्रिंटों के लिए ऑर्डर देने के लिए अधिकृत है।

आयोजक

4. यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से फ़िल्म समारोह निदेशालय या समय-समय पर अधिसूचित इस प्रकार के अन्य संगठन द्वारा आयोजित किया जाएगा।

वर्ग :

पुरस्कारों में निम्नलिखित वर्ग होंगे :

1. फ़ीचर फ़िल्म और

2. गैर- फ़ीचर फ़िल्म और

3. सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

6. भारतीय सिनेमा के संवर्धन और विकास के लिए पुरस्कार

6.1 फ़ीचर फ़िल्मों (अनुसूची I), गैर- फ़ीचर फ़िल्मों (अनुसूची II) और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन हेतु पुरस्कारों के अतिरिक्त, भारत सरकार अपने विवेक से भारतीय सिनेमा के संवर्धन, विकास और विशिष्ट योगदान के लिए किसी फ़िल्मी व्यक्तित्व को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार नामक एक पुरस्कार देगी जिसमें एक स्वर्ण कमल, 10,00,000/- (दस लाख रुपये) नकद तथा एक शॉल शामिल होगा।

6.2 भारत सरकार अपने विवेक से फ़िल्म अनुकूल राज्य नामक पुरस्कार उस राज्य सरकार को देगी जिसने राज्य में सिनेमा के संवर्धन और विकास के लिए विशिष्ट योगदान दिया है तथा भारतीय एवं विदेशी फ़िल्मकारों को शूटिंग संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इस पुरस्कार में एक रजत कमल तथा एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

7.1 केवल वे ही व्यक्ति पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे जिनका नाम फ़िल्मों के नामोल्लेखों में है और सामान्यतः भारत में रह रहे हैं। फ़िल्म भारत में निर्मित होनी चाहिए। यदि फ़िल्म के सह-निर्माता के रूप में कोई विदेशी व्यक्ति शामिल है, तो निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :-

- i) कम से कम एक सह-निर्माता भारतीय होना चाहिए।
- ii) भारतीय सह-निर्माता भारत में पंजीकृत होना चाहिए अथवा भारत का नागरिक होना चाहिए।

- iii) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रति होनी चाहिए (अनिवार्य)।
- iv) फ़िल्म का शीर्षक भारतीय फ़िल्म शीर्षक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
- v) फ़िल्म का निर्देशक भारतीय होना चाहिए। उसके कलाकार तथा तकनीशियन मुख्यतः भारतीय होने चाहिए।
- vi) फ़िल्म का निगेटिव भारत में अधिकार धारक के पास होना चाहिए ताकि उसके प्रिंट लिए जा सकें।
- vii) आवेदनकर्ता को यह अधिकार होना चाहिए की वह भारत तथा विदेश में होने वाले फ़िल्म समारोहों में भारतीय प्रविष्टि के रूप में फ़िल्म की भागीदारी के लिए स्वीकृति दे सके तथा फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित भारतीय सिनेमा समारोहों में उसे दिखाया जा सके।

7.2 विदेशी मूल के फ़िल्म कलाकार एवं तकनीशियनों को भी पुरस्कार के योग्य माना जा सकता है

7.3 **फ़िल्म 1 जनवरी 2020 और 31 दिसम्बर 2020** (दोनों दिनों को मिलाकर) के बीच केंद्रीय प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।

7.4 फ़ीचर फ़िल्म की पात्रता- वह फ़िल्में जो किसी भी भारतीय भाषा में 35 मि.मि., या बड़े गेज या डिजिटल/वीडियो प्रारूप में बनी हो तथा 70 मिनट की अवधि से अधिक हो और फ़ीचर फ़िल्म या कल्पित फ़िल्म के रूप में प्रस्तुत हो।

7.5 गैर-फ़ीचर फ़िल्म की पात्रता- वह फ़िल्में जो किसी भी भारतीय भाषा में 35 मि.मि., या बड़े गेज, या डिजिटल/ वीडियो प्रारूप में बनी हो तथा डॉक्यूमेंट्री/न्यूज रील/गैर-कल्पित/लघु कल्पित फ़िल्म रूप में प्रस्तुत हो।

7.6 किसी फ़िल्म के फ़ीचर या गैर-फ़ीचर होने के प्रश्न पर निर्णय सेंसर प्रमाण पत्र में दी गई श्रेणी के आधार पर किया जाएगा।

7.7 फ़िल्मों में अंग्रेजी उप-शीर्षक होना आवश्यक है। कृपया प्रिंट/ डीसीपी/ ब्लू-रे या पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्म के लिए) के कवर पर निम्नलिखित अवश्य अंकित करें।

- फ़िल्म का शीर्षक
- निर्देशक का पूरा नाम
- निर्माता का पूरा नाम
- फ़िल्म की अवधि
- फ़िल्म का आस्पेक्ट रेशियो
- फ़िल्म की मूल भाषा

7.8 केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा (सीबीएफसी) द्वारा प्रमाणन की तिथि

7.9 सभी प्रविष्टियां केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित संस्करण में होनी चाहिए (फ़ीचर एवं गैर-फ़ीचर के प्रविष्टि पत्र का अनुलग्नक 1 देखें)

7.10 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन तथा कंपनियों से अधिकतम सात (7) प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी।

8. निम्नलिखित प्रविष्टि के लिए पात्र नहीं होंगे:-

क) डब किया हुआ/ संशोधित/पुनर्रचित/कोई भी भारतीय फ़िल्म का पुनः संपादित रूपांतर जो राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हेतु पहले से ही प्रस्तुत किया हो, वह पात्र नहीं होगा। सभी फ़िल्में उनके मौलिक रूपांतर/भाषा में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

ख) उन कलाकारों की फ़िल्में पुरस्कार के लिए अनुसूची I की क्रम संख्या (x) से (xiv) तक विचारणीय नहीं होंगी जिनके संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किया गया है।

9. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 (समय-समय पर संशोधन के अनुसार) के प्रावधानों का उल्लंघन, यदि सिद्ध हुआ, तो फ़िल्म की प्रविष्टि रद्द कर दी जाएगी अथवा फ़िल्म को किसी भी पुरस्कार के लिए चयनित नहीं किया जाएगा।

10. ऐसे आवेदक पुरस्कार की प्रतियोगिता से स्वतः ही तीन वर्ष के लिए अयोग्य हो जाएंगे जो निर्णायक मण्डल के किसी सदस्य पर पत्राचार, फोन, ई-मेल इत्यादि द्वारा किसी भी प्रकार का प्रभाव/सिफ़ारिश कराते हुए पाए जाएंगे। इस अयोग्यता के कारण उस व्यक्ति को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार हेतु प्रतियोगिता में शामिल होने से तीन वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

11. आयोजकों के स्टाफ के सदस्य किसी भी श्रेणी के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होंगे।

प्रविष्टि प्राप्ति की अंतिम तारीख

12. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 मार्च, 2021 (शाम 6 बजे तक) है और आवश्यक सामग्री के साथ प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन फॉर्म की हार्ड प्रति जमा कराने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2021 होगी। यदि 19 मार्च 2021 को सरकारी अवकाश घोषित किया जाता है तो अगला कार्य दिवस अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन को आवेदक को कोई भी निर्देश दिए बिना अस्वीकार किया जा सकता है।

(टिप्पणी: आवेदक के द्वारा जमा की हुई फॉर्म की दोनों प्रतियां (ऑनलाइन कॉपी तथा हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी) एक समान होनी चाहिए तथा प्रतियां जमा कराए जाने के बाद कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा)।

फ़िल्म प्रविष्टि प्रक्रिया

13. निर्माता वह है, जो एक फ़िल्म का निर्माण करता है और साथ ही फ़िल्म के कॉपीराइट और आपूर्ति/ डिजिटल प्रारूप की प्राधिकृत आपूर्ति/ निर्णायक मंडल के लिए प्रयोगशाला से सिनेमैटोग्राफिक प्रति या चयनित फ़िल्मों के फ़िल्म समारोह में अन्य स्क्रीनिंग आदि कर सकते हैं और वह एक व्यक्ति को लगा सकता है या एक कंपनी या एक संस्थान या अन्य कोई हस्ती और एक सह-निर्माता को भी सम्मिलित कर सकते हैं।

13.1 प्रारूप

फ़ीचर फ़िल्म: 35 एमएम या चौड़े गेज़ (सेल्यूलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35 एम एम प्रिंट/ डी.सी.पी (अनक्रिपटिड, डी सी आई कंपलाइंट - जे2के), इंटरोप या एसएमपीटीआई डीसीपी - नोट: जे2के इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस / ब्लू-रे (रीजन फ्री पीएएल) या सेल्यूलाइड प्रारूप में दो डीवीडी प्रतियों के साथ भेजा जा सकता है।

13.2 गैर-फ़ीचर फ़िल्म: 35 एमएम या चौड़े गेज़ (सेल्यूलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35

एम एम प्रिंट/ डी.सी.पी (अनक्रिपटिड, डी सी आई कंपलाइंट - जे2के), इंटरोप या एसएमपीटीआई डीसीपी - नोट : जे2के इंटरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस / ब्लू-रे (रीजन फ्री पीएएल) या पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए) में या दो डीवीडी प्रतियों के साथ भेजा जा सकता है।

14. निर्माता को अपनी प्रविष्टि, प्रविष्टि प्रपत्र में दो प्रतियों में भेजनी चाहिए। फॉर्म हर दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए और उसके साथ पार्ट ब का खंड 3.3 (फ़ीचर फ़िल्म) एवं पार्ट सी का खंड 3 (गैर-फ़ीचर फ़िल्म) में उल्लिखित सभी दस्तावेज़ एवं सहायक सामग्री भेजी जानी चाहिए।

टिप्पणी क : निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम फिल्म में दिए गए क्रेडिट शीर्षक के समान ही हों। इस संबंध में निर्माता एक प्रमाण-पत्र भी जमा करें। फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा इस शपथपत्र के जमा करने के उपरान्त इस मामले में किसी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा (फ़ीचर / गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए प्रवेश पत्र के लिए अनुलग्नक । देखें)।

टिप्पणी ख : प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कम्पनी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उसमें डाक का पूरा पता ई-मेल का पता, टेलीफोन न.,मोबाइल न., फ़ैक्स संख्या (यदि कोई हो), दी गई है।

15. निम्नलिखित सामग्री उचित अंकन के साथ भेजी जानी चाहिए:-

(क) 3 पोस्टर (थिएटर आकार के)

(ख) ई-मेल द्वारा 30 से 60 सेकेंड का प्रोमो/ट्रेलर

(ग) प्रमुख कलाकारों तथा फिल्म में काम करने वाले अन्य तकनीशियनों इत्यादि के 02 उच्च रेजूल्यूशन तस्वीरें (उनके सम्पर्क विवरण के साथ)

घ) फिल्म की 5 तस्वीरें (600 डीपीआई या 15-20 एमबी) भी ई-मेल करें।

(ङ) (i) ब्लूरे/डीसीपी/पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फ़िल्मों के लिए)

(ii) 2 डीवीडी

(च) संवाद/अंग्रेजी उपशीर्षक सूची टाइम कोड सहित।

(छ) 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए चयनित सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फिल्म और सर्वश्रेष्ठ गैर-फ़ीचर फिल्म भारतीय पैनोरमा 2021 में भी शामिल की जायेगी।

(ज) फिल्मों के गीतों की डीवीडी, गीतों की मूल भाषा और उसके अंग्रेजी अनुवाद की एक-एक प्रति भी संगलन करें। इस पर संबंधित श्रेणी में पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

16. डीसीपी/ ब्लू रे/ पेन ड्राइव/ डीवीडी और अन्य सामग्री को निदेशालय भेजने का व्यय आवेदक को ही वहन करना होगा। सभी सामग्री कुरियर द्वारा भेजी जानी चाहिए। कृपया प्रविष्टि पत्र को प्रिन्ट बॉक्स में ना डालें।

17. निदेशालय के पास किसी भी प्रविष्टि को अस्वीकृत करने का अधिकार निहित है।

(क) यदि प्रिन्ट अथवा डीसीपी/ ब्लू रे/ पेन ड्राइव(वीडियो/डिजिटल प्रारूप में बनाए गए फ़ीचर फिल्मों के मामले में) डीसीपी/ब्लू रे/पेन ड्राइव (वीडियो/डिजिटल प्रारूप में बनाए गए गैर- फ़ीचर फिल्मों के लिए) निर्धारित तिथि तक प्राप्त ना हो।

(ख) आवेदक द्वारा समर्पित कोई भी घोषणा पत्र अवास्तविक पाया जाता है तो फिल्म समारोह निदेशालय को यह अधिकार है कि प्रविष्टि को अस्वीकृत करे या अंतिम परिणाम घोषणा के बाद फिल्म का चयन रद्द करें। ऐसे मामलों में जहां गलत या अवास्तविक घोषणा पत्र पाया जाता है, वहां आवेदक को निदेशालय द्वारा आयोजित किसी भी गतिविधि में भाग लेने से 3 वर्ष की अवधि के लिए बाधित किया जाएगा।

17.1 निदेशालय के पास सुरक्षित अधिकार:

(क) फिल्म समारोह निदेशालय के पास यह अधिकार निहित है कि वह अपने व्यय पर कोई भी भारतीय/विदेशी भाषा में फिल्मों का उपशीर्षक दे सकते हैं और अधिकार धारक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के बाद भारत और विदेश में गैर वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट (ई एस टी) जल्द ही प्रस्तुत करना होगा।

(ख) निर्णायक मंडल की स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फिल्मों की प्रिन्ट/डीसीपी/ (अनएन्क्रिप्टड) / ब्लू रे/ पेन ड्राइव (गैर-फ़ीचर फिल्मों के लिए) को भारत और विदेश में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा रखा जाएगा।

पुरस्कार समारोह

18.1 यह अत्यावश्यक है कि पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने आए। यदि किसी कारणवश पुरस्कार विजेता स्वयं पुरस्कार प्राप्त करने नहीं आ सकते तो पुरस्कार विजेता के किसी भी प्रतिनिधि को पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। वह पुरस्कार विजेता या किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा पत्र में निर्धारित तिथि पर प्राप्त किया जा सकता है।

18.2 यदि एक फ़िल्म के एक से अधिक निर्माता हैं तो निम्नलिखित नियम लागू होंगे:-

(क) केवल एक पदक प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार की राशि को सभी निर्माताओं में बराबर वितरित कर दिया जाएगा और सभी निर्माताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(ख) केवल एक निर्माता को ही स्वयं तथा अन्य निर्माताओं का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु मंच पर आमंत्रित किया जाएगा।

(ग) फ़िल्म की प्रविष्टि भेजते समय निर्माताओं को पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान मंच पर पुरस्कार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित निर्माता के नाम की घोषणा करनी होगी।

19. इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों तथा इन विनियमों की व्याख्या के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

20. पुरस्कार के लिए प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसे ये विनियम स्वीकार हैं।

21. फ़िल्म प्रिंट के अतिरिक्त प्रविष्टि प्रपत्र, फ़िल्म प्रिन्ट, अन्य सामग्री/पुस्तकें/लेख और सभी पत्राचार निम्नलिखित को संबोधित किया जाना चाहिए:-

उप-निदेशक

68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2020

फ़िल्म समारोह निदेशालय

सूचना और प्रसारण मंत्रालय,

सिरी फोर्ट सभागार परिसर

अगस्त कांति मार्ग नई दिल्ली - 110049

दूरभाष नं. - 011-26499378/386 टैले./फैक्स नं. 011-26497214

ई-मेल: 68nfa.dff@gmail.com, बेवसाइट www.dff.gov.in

विवाद का समाधान

22. निर्माता तथा निदेशालय के बीच किसी भी मामले पर उत्पन्न विवाद को सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों को मान्य होगा। यह विवाचन मंत्रालय के निर्णय पर लागू नहीं होगा, जो फिल्म समारोह निदेशालय और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के आवेदक दोनों पर बाध्यकारी होगा।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निर्णायक मंडल

सामान्य

23.1 किसी व्यक्ति को निर्णायक मंडल की सदस्यता से तभी अयोग्य माना जाएगा जब कि स्वयं उसकी फिल्म की प्रविष्टि हुई हो। उसके निकट संबंधी की फिल्म प्रविष्टि होने के मामले में निर्णायक मंडल के सदस्य को फिल्म/पुस्तक/लेखन के पूर्वावलोकन/निर्णय में सम्मिलित न होने का अधिकार होगा।

23.2 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति को अनुसूची V में दिए गए प्रपत्र में लिखित घोषणा करनी होगी।

23.3 निर्णायक मंडल के सदस्य (केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मंडलों के सदस्यों सहित), विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों के निर्णय संबंधी चर्चा/सिफारिश को गोपनीय बनाए रखेंगे। निर्णायक मंडल के किसी भी सदस्य द्वारा इसका उल्लंघन करने पर उन्हें जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार/ भारतीय पैनोरमा/ भारत का अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल का सदस्य बनाने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

23.4 निर्णायक मंडल पुरस्कार विजेताओं का चयन करेंगे और अपनी रिपोर्ट निदेशालय को देंगे। निर्णायक मंडल अपने विवेक से यह सिफारिश कर सकेंगे कि किसी श्रेणी विशेष में पुरस्कार नहीं दिया जाए, यदि उन्हें लगे कि उस श्रेणी में प्रविष्टियां अपेक्षित स्तर की नहीं हैं।

23.5 जूरी सिफारिश करेगा जो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होगा और मंत्रालय का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और उनके फैसले के संबंध में अपील या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।

23.6 निदेशालय का निदेशक और/या उसका मनोनीत व्यक्ति निर्णायक मंडलों की बैठकों में उपस्थित रहेगा ताकि वे/वह जानकारी/स्पष्टीकरण दे सके जो निर्णायक मंडल मांगे लेकिन वह बैठकों में भाग नहीं ले सकेगा।

चयन प्रक्रिया

फ़ीचर फिल्म

24.1 विनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट विभिन्न वर्गों के पुरस्कारों का चयन करने के लिए द्विस्तरीय प्रणाली (यथा-क्षेत्रीय निर्णायक मंडल तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल) होगी। भारत सरकार के अनुमोदन पर फिल्म समारोह निदेशालय विधिवत रूप से केन्द्रीय निर्णायक मंडल तथा पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों का गठन करेगी। जिसमें सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों को शामिल किया जाता है।

(क) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल

(i) पांच क्षेत्रीय निर्णायक मंडल निम्नानुसार होंगे:-

उत्तर पैनल- हिन्दी, पंजाबी, डोगरी, भोजपुरी, राजस्थानी, उर्दू, अंग्रेजी तथा केन्द्रीय भारतीय भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

पश्चिम पैनल: मराठी, गुजराती तथा कोंकणी भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

दक्षिण I: तमिल और मलयालम भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

दक्षिण II: कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं की फिल्मों के लिए एक पैनल।

पूर्व पैनल: बांग्ला, असमिया, उडिया, मणीपुरी और पूर्वोत्तर में बोली जाने वाली बोलियों की फिल्मों के लिए एक पैनल।

(ii) प्रत्येक क्षेत्रीय पैनल में एक अध्यक्ष एवं एक सदस्य (दोनों को क्षेत्र के बाहर से चयनित किया जाएगा) तथा तीन अन्य सदस्य क्षेत्र में रहने वाले होंगे

(iv) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल को पुरस्कार की सिफारिश करने का अधिकार होगा जिसके लिए फिल्म विशेष पर विचार किया जाए।

(v) निर्णायक मंडल के लिए यह अनिवार्य है कि वह किसी निर्णय पर पहुंचने से पहले फिल्म को पूर्णतया देख लें।

(vi) क्षेत्रीय निर्णायक मंडल दिल्ली में फिल्मों का पूर्वावलोकन करेंगे।

(ख) केन्द्रीय निर्णायक मंडल

(i) केन्द्रीय निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष एवं दस सदस्य होंगे।

(ii) क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों के अध्यक्ष केन्द्रीय निर्णायक मंडल में सदस्य होंगे। यदि क्षेत्रीय निर्णायक मंडल का अध्यक्ष उपलब्ध न हो और वह इसकी लिखित सूचना दे तो मंत्रालय मंडल के किसी अन्य सदस्य को केन्द्रीय निर्णायक मंडल में नामित कर सकता है।

(iii) बैठक दिल्ली में होगी।

(iv) केन्द्रीय निर्णायक मंडल पुरस्कारों के विभिन्न वर्गों, जैसा कि विनियम की अनुसूची-1 में निर्दिष्ट है, जो कि क्षेत्रीय निर्णायक मंडलों की सिफारिश पर आधारित है, के लिए शीर्षस्थ संस्था होगी।

(v) यद्यपि, केन्द्रीय निर्णायक मंडल के पास क्षेत्रीय निर्णायक मंडल द्वारा अनुशंसित नहीं की गई फिल्मों में से एक फिल्म को शामिल करने का अधिकार होगा बशर्ते कि केन्द्रीय निर्णायक मंडल (केन्द्रीय निर्णायक मंडल के अध्यक्ष सहित) के पांच सदस्य उस फिल्म को शामिल करने हेतु लिखित में अपनी सहमति दें।

24.2 क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय निर्णायक मंडल अपनी कार्य प्रणाली का स्वतः निर्धारण करेंगे।

24.3 निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

गैर फ़ीचर फिल्म

25.1 गैर फ़ीचर फिल्म निर्णायक मंडल में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम छः सदस्य होंगे जो कि सिनेमा, अन्य कलाओं तथा मानविकी के क्षेत्र में विख्यात व्यक्ति होते हैं। गैर-फ़ीचर फिल्मों के निर्णायक मंडल का अध्यक्ष निर्णायक मंडल के सदस्यों में से अधिकतम दो पैनल बना सकता है।

25.2 प्रत्येक पैनल, उनके द्वारा अवलोकित फिल्मों में से अधिक से अधिक 30 प्रतिशत फिल्मों को पूर्ण निर्णायक मंडल के समक्ष संयुक्त अवलोकन हेतु रखने की सिफारिश कर सकेगा। गैर-फ़ीचर फिल्म निर्णायक मंडल, पैनलों में फिल्मों के प्रदर्शन से पहले यह तय करेगा कि कुल शामिल फिल्मों में से कितनी प्रतिशत फिल्मों को पुनः प्रदर्शन हेतु रखा जाए।

25.3 गैर फ़ीचर फिल्म निर्णायक मंडल अपने कार्य प्रणाली का स्वयं निर्धारण करेंगे। निर्णायक मंडल के अध्यक्ष, जब भी आवश्यक हो, विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञों की सलाह ले सकते हैं।

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

26.1 सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए पुरस्कारों का निर्णय भारत सरकार के अनुमोदन के साथ फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा विधिवत गठित निर्णायक मंडल द्वारा किया जायेगा। इस निर्णायक मंडल में अध्यक्ष सहित, साहित्य पत्रकारिता तथा सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखने वाले 3 सदस्य होंगे।

26.2. निर्णायक मंडल का अध्यक्ष उस भाषा के जानने वाले व्यक्तियों की सहायता ले सकेगा, जिसमें प्रविष्टियां स्वीकार की गई हैं।

26.3 भारत सरकार किसी भाषा विशेष में प्रविष्ट पुस्तकों/लेखों, समीक्षाओं की संख्या को देखते हुए अपने विवेक से पुस्तकों/लेखों, समीक्षाओं की अनुशंसा करने के लिए उस भाषा विशेष के लिए लघु क्षेत्रीय पैनल बना सकेगी। जिसे बाद में निर्णायक मंडल द्वारा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के रूप में भी रखा जा सकता है।

गणपूर्ति

27. निर्णायक मंडल की अंतिम बैठक में गणपूर्ति निम्नानुसार होगी:

फ़ीचर फिल्म: क्षेत्रीय निर्णायक मंडल: 3 सदस्य +अध्यक्ष,

केंद्रीय निर्णायक मंडल: 9 सदस्य +अध्यक्ष,

गैर-फ़ीचर फिल्म: 5 सदस्य +अध्यक्ष

तथा सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन: 1 सदस्य +अध्यक्ष

भाग ख

फ़ीचर फ़िल्म विनियम

फ़ीचर फ़िल्म विनियम

पुरस्कार

1. फ़ीचर फ़िल्म वर्ग में दिए गए जानेवाले पुरस्कार इन विनियमों की अनुसूची I में दिए गए हैं। यदि एक फ़िल्म अनुसूची I की (i) से (ix), (xxix) से (xxx) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फ़िल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

2.1 35 मि.मि. या बड़े गेज या डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फ़िल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फ़ीचर या फ़ीचरेट के रूप में प्रमाणीकृत फ़िल्म फ़ीचर फ़िल्म श्रेणी के लिए पात्र है। 35 मि.मि. या चैड़े गेज (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ़ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के), इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी - नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस/ब्लूरे; रिजन फ़्री पीएएल या सैल्युलाइड प्रारूप में क्षेत्रीय एवं केंद्रीय दोनों निर्णायक मंडलों द्वारा स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है।

चयन हेतु भेजी गई फ़िल्म सेंसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

2.2 सर्वश्रेष्ठ बाल कथाचित्र के पुरस्कार के संबंध में केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बाल फ़िल्म के रूप में प्रमाणित फ़िल्मों के अतिरिक्त निर्णायक मंडल द्वारा विचाराधीन बाल फ़िल्मों भी प्रतियोगिता में शामिल की जाएंगी।

2.3 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

2.4 मूक फ़िल्मों में भी पात्रता रखेंगी।

फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

3.1 फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का यह अधिकार है कि लोकप्रिय एवं स्वस्थ, मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म के लिए पुरस्कार के लिए फ़िल्मों को नामित करें (कृपया अनुसूची I के क्रमांक (iii) को देखें)। फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अधिकतम 10 फ़िल्मों को नामित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित फ़िल्मों की सूची को निदेशालय को प्रेषित किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाए कि संबंधित निर्माताओं द्वारा दिनांक 12 मार्च 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन प्रपत्र को भरा जाए तथा उन्हें फ़िल्म के प्रिंट/डीसीपी/ब्लू रे/ और डीवीडी तथा विनियम पर या उल्लिखित सामग्री/सूचना के साथ दिनांक 19 मार्च 2021 को या उससे पहले निदेशालय में भेजा जाए। इस पुरस्कार के लिए जूरी का चयन फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई फ़िल्मों का नामांकन करने के लिए ही सीमित नहीं होगा अपितु किसी अन्य प्रविष्टि की पात्रता होने पर उस पर भी पुरस्कार हेतु विचार किया जाएगा। इस श्रेणी के अंतर्गत फ़िल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामांकित फ़िल्में अन्य सभी पुरस्कारों के लिए भी पात्र होंगी।

3.2 निर्माता (ओं) द्वारा निर्धारित ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र- प्रपत्र एनएफए-I के साथ प्रपत्र एनएफए-II और III पर आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020 का प्रपत्र और विनियम निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है : www.dff.gov.in

3.3 सारांश, फ़िल्म के निर्देशक, फ़िल्म के दृश्य और फ़िल्म के ट्रेलर को अनिवार्य रूप से डीवीडी फॉर्मेट/पेन ड्राइव में प्रवेश पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए, अन्यथा फ़िल्म समारोह निदेशालय का यह अधिकार कि आवेदन को अस्वीकार करे। प्रत्येक प्रवेश पत्र नीचे दी गई सामग्री के साथ प्रस्तुत करें। (प्रत्येक की एक सॉफ्ट कॉपी भी भेजी जाए): 68nfa.dff@gmail.com

(1)(क) फ़िल्म समारोह निदेशालय (अनुसूची III) एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (अनुसूची IV)

हेतु प्राधिकार पत्र

(ख) कथासार (250 शब्दों से कम)

(ग) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।

(घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक I)

(ङ) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)

(2) (क) प्रविष्टि हेतु भेजी गई प्रत्येक फिल्म के सभी दस्तावेज एवं पूर्ण विवरण (विशेषकर-कथासार (250 शब्दों से कम), निर्माता एवं निर्देशक का विस्तृत विवरण, सभी गायक, अभिनेता, प्रत्येक सह-कलाकार द्वारा किए गए अभिनय, सभी गीतों का अनुवाद, प्रत्येक गीत के लिए गायक एवं गीतकारों के नाम, प्रत्येक गीत के नृत्य संयोजक तथा अन्य तकनीशियनों इत्यादि का विस्तृत विवरण) 68nfa.dff@gmail.com. पर ई-मेल द्वारा भेजा जाए।

(ख) फिल्मों के गीतों की डीवीडी, गीतों की मूल भाषा एवं उसके अंग्रेजी अनुवाद की एक-एक पति भी संलग्न करें। इस पर संबंधित श्रेणी में पुरस्कार के लिए विचार किया जाएगा।

(ग) फीचर फिल्मों के लिए 11,800/-: 18% जीएसटी सहित एक नॉन रीफंडेबिल प्रविष्टि शुल्क ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म जमा करने के समय ऑनलाइन भेजा जाना चाहिए।

(घ) फिल्म का प्रिन्ट (प्रिन्ट अथवा विडियो/डिजिटल प्रारूप में डीसीपी/ब्लूरे टेप्स)। 35 मि.मि. या चैंडे गेज (सैल्युलाइड) में प्रामाणित फिल्मों को सिर्फ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रामाणित फिल्मों को 35 एम एम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट - जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी - नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रिजन फ्री पीएएल) या सैल्युलाइड प्रारूप में डीवीडी की 2 प्रतियों के साथ भेजा जा सकता है।

पुरस्कारों की श्रेणियां

अनुसूचि-1

(i) सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म

(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार

(ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ii) निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार

(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,25,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(iii) लोकप्रिय एवं स्वस्थ मनोरंजन करने वाली फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार

(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(iii) राष्ट्रीय एकता संबंधी सर्वश्रेष्ठ फीचर फ़िल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार

(क) निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(v) सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (यथा- मद्यनिषेध, महिला एवं बाल सशक्तिकरण, सामाजिक बुराइयां जैसे- दहेज प्रथा, नशीले पदार्थों से हानि इत्यादि, विकलांग, जनजातीय तथा देशज लोगों का सशक्तीकरण इत्यादि)

(क) निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(vi) पर्यावरण संरक्षण/परिरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(vii) सर्वश्रेष्ठ बाल फ़िल्म

(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(viii) सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फ़िल्म

(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ग) ऐनिमेटर/कार्टून निर्देशक/डिजाइनर/पर्यवेक्षक को स्वर्ण कमल और

1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ix) सर्वश्रेष्ठ निर्देशन

निर्देशक को स्वर्ण कमल और 2,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(x) सर्वश्रेष्ठ अभिनेता

अभिनेता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xi) सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री

अभिनेत्री को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xii) सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेता

सह-अभिनेता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xiii) सर्वश्रेष्ठ सह-अभिनेत्री

सह-अभिनेत्री को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xiv) सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार

बाल कलाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xv) सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक

पार्श्व गायक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xvi) सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका

पार्श्व गायिका को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xvii) सर्वश्रेष्ठ सिनेमाटोग्राफी

(क) कैमरामैन को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) फिल्म को प्रोसेसिंग करने वाली लेबोरेटरी को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। (35 एमएम प्रारूप के लिए)

(xviii) सर्वश्रेष्ठ पटकथा

(क) पटकथा लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (मौलिक)।

(ख) पटकथा लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (रूपान्तरित)।

(ग) संवाद लेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xix) सर्वश्रेष्ठ ध्वनि आलेखन

(क) लोकेशन ध्वनि आलेखक (केवल सिंक साउंड फिल्मों के लिए) को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) ध्वनि डिजाइनर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ग) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xx) सर्वश्रेष्ठ सम्पादन

सम्पादक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxi) सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन

प्रोडक्शन डिजाइनर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxii) सर्वश्रेष्ठ वेशभूषाकार

वेशभूषाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxiii) सर्वश्रेष्ठ मेकअप कलाकार

मेकअप कलाकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxiv) सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन

(क) संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (गीत)।
(ख) संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (बैकग्राउंड संगीत)।
(ग) संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार (बैकग्राउंड स्कोर)
(xxv) सर्वश्रेष्ठ गीत
गीतकार को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxvi) निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार
निर्णायक मंडल के विवेकानुसार ऐसी फ़िल्म या व्यक्ति जो किसी पुरस्कार के अंतर्गत न आते हों, रजत कमल तथा 2,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxvii) सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव
प्रभाव सृजक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxviii) सर्वश्रेष्ठ नृत्य कला
नृत्य संयोजक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxix) सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन पुरस्कार (स्टंट कोरियोग्राफी)
एक्शन निर्देशन के लिए रजत कमल और रुपये 50,000/- का नकद पुरस्कार होगा। (स्टंट कोरियोग्राफी)

(xxx) संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक भाषा में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म
(क) निर्माता को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ख) निर्देशक को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxxi) संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट इतर भाषा में सर्वश्रेष्ठ फ़ीचर फ़िल्म
(क) निर्माता को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।
(ख) निर्देशक को रजत कमल तथा 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार-2020

प्रविष्टि प्रपत्र संदर्भ हेतु

फ़ीचर फ़िल्म

टिप्पणी

1. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फ़िल्म में दिये गये क्रेडिट टाइटल्स के अनुरूप ही हों।
3. प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल, टेलीफोन नंबर (निश्चित संख्या और मोबाइल नंबर) दिया जाए।
4. ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 मार्च, 2021 (शाम 6 बजे तक) है। आवश्यक सामग्री के साथ भरे गए ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की आखिरी तारीख 19 मार्च, 2021 है। (नोट: आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों आवेदन फॉर्म के संस्करण समान होने चाहिए)।

1. फ़िल्म का शीर्षक:

(क) रोमन लिपि में

(ख) देवनागरी लिपि में

(ग) फ़िल्म शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद

2. भाषा: (यदि फ़िल्म में संवाद न हों तो इंगित करें) :

3. क्या फ़िल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी में है:

4. क्या यह निर्देशक की पहली फ़िल्म है: हां /नहीं

5. फ़िल्म की लम्बाई मीटरों में (यदि फ़िल्म प्रारूप में है) (जैसे कि सेंसर प्रमाण पत्र में प्रमाणित है):

6. कितने समय की है (मिनट में)

7. रीलों/टैपों की संख्या:

8. (क) प्रारूप: 35 मि.मी/ डीसीपी/ ब्लूरे/

(ख) आस्पेक्ट अनुपात:

(ग) साउंड सिस्टम: ऑप्टिकल मोनो / डॉल्बी / डीटीएस या अन्य

9. रंगीन/श्वेत-श्याम

10. सेंसर प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख

11. कंपनी का पंजीकरण विवरण

12. शीर्षक का पंजीकरण विवरण

13. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(क) निर्माता :

(i) क्या भारतीय नागरिक है: (हां/नहीं) (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदन की फोटो आईडी या आधार कार्ड का नं. (अनिवार्य):

(iii) यदि किसी फ़िल्म के एक से अधिक निर्माता हैं और फ़िल्म पुरस्कार के लिए नामित होती है तो कृपया केवल एक निर्माता का नाम लिखें जो अन्य निर्माताओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

(क) निर्माता जो पुरस्कार प्राप्त करेगा:

(ख) निर्देशक: क्या भारतीय नागरिक है: हां/नहीं (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(ग) पटकथा लेखक:

(1) मौलिक पटकथा लेखक

(2) रूपान्तरित पटकथा लेखक

कृपया रूपांतरित पटकथा के लिए निम्नलिखित का उल्लेख/जमा करें:-

1. मूल कहानी के लेखक नाम

2. मूल रचना की एक प्रति

3. क्या रचना का स्वामित्व सार्वजनिक है हां/नहीं

उपरोक्त सूचना एवं कागजात के बिना इस पुरस्कार के लिए फ़िल्म पर विचार नहीं किया जाएगा।

(iii) संवाद

(घ) मुख्य अभिनेता: (अ) नाम: (ब) स्क्रीन नाम:

ध्वनि मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची (x) की क्रम सं. (ग) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(ड) मुख्य अभिनेत्री: (अ) नाम: (ब) स्क्रीन नाम:

ध्वनि- मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किए जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम संख्या (xi) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

च) सह अभिनेता: (अ) नाम : (ब) स्क्रीन नाम :

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xii) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(छ) सह-अभिनेत्री: (अ) नाम : (ब) स्क्रीन नाम :

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xiii) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(ज) बाल कलाकार: (अ) नाम: (ब) स्क्रीन नाम:

ध्वनि - मूल/डब

टिप्पणी: संवादों को किसी अन्य कलाकार द्वारा डब किये जाने से प्रविष्टि, अनुसूची i की क्रम सं. (xiv) के पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी।

(झ) सिनेमैटोग्राफर:

टिप्पणी: कृपया स्पष्ट करें यदि फिल्म डिजिटल/वीडियो प्रारूप में शूट की गई है।

(ञ) ध्वनि आलेखक:

(i) लोकेशन ध्वनि आलेखक ;केवल सिंक साउंड फिल्मों के लिए

(ii) ध्वनि डिजाइनर

(iii) अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक

(ट) सम्पादक:

(ठ) प्रोडक्शन डिजाइनर

(ड) वेशभूषाकार

(ढ) श्रृंगार निर्देशक:

(ण) संगीत निर्देशक

(प) संगीत निर्देशक (गीत)

(प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(ii) संगीत निर्देशक (बैकग्राउंड संगीत)

(त): गीतकार

(प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(थ) पार्श्व गायक:

प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(द) पार्श्वगायिका

(प्रत्येक गीत के लिए अलग अलग उल्लेख करें),

(ध) ऐनिमेटर (ऐनिमेशन फ़िल्म के मामले में):

(न) नृत्य संयोजक

(प) विशेष प्रभाव सृजक

14. फ़िल्म का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापिस भेजा जाए:

नाम:

डाक का पता (पिन कोड सहित):

दूरभाष :

मोबाइल:

कार्यालय: फ़ैक्स: ई-मेल: वेबसाइट:

15. प्रविष्टि शुल्क की ऑनलाइन प्रस्तुति के ब्यौरे:

(क) भुगतान तिथि

(ख) शुल्क रु.

(ग) रसीद संख्या / भुगतान का विवरण

(घ) (भुगतान की रसीद संलग्न करें। (स्कैन कॉपी)

16. फ़िल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न है: हां/ नहीं

17. (क) मुझे/हमें इस फ़िल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फ़िल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित/प्रोत्साहित विभिन्न फ़िल्म समारोहों/विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप या प्रिंट अथवा डिजिटल में तथा फोटो/पोस्टर/ट्रेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फ़िल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूँ/दिलाते हैं कि भविष्य में यदि फ़िल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति फ़िल्म समारोह निदेशालय के लिए मान्य रहेगी।

(ख) फ़िल्म समारोह निदेशालय के पास यह अधिकार निहित है कि वह अपने व्यय में कोई भी भारतीय/विदेशी भाषा में फ़िल्मों का उपशीर्षक दे सकते हैं और अधिकार धारक को राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार की घोषणा के बाद भारत और विदेश में गैर वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फ़िल्म की स्क्रिप्ट (ईएसटी) जल्द ही प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) निर्णायक मंडल की स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फ़िल्मों की प्रिन्ट/डीसीपी (अनएन्क्रिप्टड)/ब्लू रे भारत और विदेश में गैरवाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा रखा जाएगा।

18. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/ हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) निर्णायक मंडल सिफारिश करेगा, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(ग) निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम निर्णायक मंडल के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार नहीं करेंगे।

19. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रविष्टि की गई किसी फ़िल्म के रूपांतरण, डब/ संशोधित/ नकल किया हुआ नहीं है।

20. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

21. साथ ही यह भी प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फ़िल्म किसी भी रूप में भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

22. मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फ़िल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/ हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

(मुहर):

हस्ताक्षर

तारीख:

प्रविष्टि भेजनेवाले व्यक्ति का नाम, पूरा नाम, पता तथा टेलीफोन नं.

पता:

टेलीफोन नं. (कार्यालय) (निवास) मोबाइल:

फैक्स: ईमेल:

68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020

जांच सूची

1. ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र की हार्ड कॉपी (दो प्रतियां)
2. ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि शुल्क (फ़ीचर फ़िल्म के लिए 18% जीएसटी सहित 11,800/-रु.)
3. फ़िल्म समारोह निदेशालय एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय हेतु प्राधिकार पत्र

4. शपथ-पत्र (अनुलग्नक 1)
5. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।
7. डीसीपी/ब्लूरे/प्रिंट और डीवीडी
8. ऑडियो सीडी
9. गीत की मूल भाषा की एक सी डी एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद।
10. कथासार, निर्देशक की फोटो, फ़िल्म की तस्वीरें और फ़िल्म का ट्रेलर अनिवार्यतः डीवीडी/पेन ड्राइव के साथ ई-मेल 68nfa.dff@gmail.com के जरिए भी जमा किया जाए।

68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम 2020

शपथपत्र

(फ़ीचर फ़िल्म हेतु)

(20 रुपये या अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

फ़िल्म का शीर्षक

मैं घोषणा करता हूँ कि:

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।
- (4) प्रस्तुत फ़िल्म का प्रिन्ट/वीडियो केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहला मूल संस्करण है।
- (5) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मूल प्रमाणन प्राप्ति के पश्चात फ़िल्म/वीडियो में कोई फेर बदल नहीं किया गया है।

निर्माता का नाम: _____

पता: _____

मोबाइल : _____

दूरभाष (का.) _____

भाग स
गैर फ़ीचर फ़िल्म विनियम
पुरस्कार

1. गैर फ़ीचर फ़िल्म वर्ग के अंतर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार अनुसूची-II में दिए गए हैं। यदि एक फ़िल्म अनुसूची (II) की (i) से (xviii) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी में एक से ज्यादा पुरस्कारों के लिए अर्हक होती है तो फ़िल्म के निर्माता और/या निर्देशक को उस हैसियत में केवल उच्चतर पुरस्कार ही मिलेगा। उच्चतर पुरस्कार नकद घटक के अनुसार ही निश्चित किया जाएगा। तथापि यह निर्माता और/या निर्देशक को अन्य फ़िल्मों के लिए पुरस्कार जीतने से वंचित नहीं करेगा।

पात्रता

2.1 भारत में स्थित फ़िल्म संस्थानों के विदेशी छात्रों द्वारा निर्देशित गैर फ़ीचर फ़िल्में प्रविष्टि के लिए पात्र होंगी यदि उनकी प्रविष्टियां संबंधित संस्थानों के माध्यम से भेजी गई हों।

2.2 35 मि.मि. या बड़े गेज या डिजिटल प्रारूप में बनी किन्तु फ़िल्म प्रारूप अथवा वीडियो/डिजिटल प्रारूप में जारी किसी भी भारतीय भाषा में बनी और केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा वृत्त-चित्र/न्यूजरील/गैर-कथाचित्र/सर्वश्रेष्ठ लघु कल्पित के रूप में प्रमाणीकृत फ़िल्म गैर फ़ीचर फ़िल्म वर्ग के लिए पात्र है।

2.3 35 मि.मि. या बड़े गेज में बनी (सैल्युलाइड) में प्रमाणित फ़िल्मों को सिर्फ़ इन्हीं प्रारूप में भेजा जाना चाहिए। हालांकि वीडियो/डिजिटल प्रारूप में प्रमाणित फ़िल्मों को 35एमएम प्रिन्ट/डी.सी.पी. (अनक्रिपटिड, डी.सी.आई. कम्पलाइन्ट-जे2के, इन्टरोप या एसएमपीटीई डीसीपी-नोट: जे2के इन्टरोप डीसीपी केवल 24 एफपीएस)/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएएल)/डीवी कैम प्रारूप में निर्णायक मंडल द्वारा स्क्रीनिंग के लिए भेजा जा सकता है। चयन हेतु भेजी गई फ़िल्म संसर प्रमाणपत्र सहित होनी चाहिए।

2.4 किसी भी भारतीय भाषा से भारतीय संघ के राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की सभी अधिकारिक भाषाएं, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी भारतीय भाषाएं तथा देश में प्रचलित अन्य बोलियां शामिल हैं। निर्माताओं को संबंधित क्षेत्र के जिलाधिकारी/जिलाधीश या गृहसचिव से बोली के प्रचलन के बारे में प्रमाणपत्र देना होगा।

2.5 मूक फ़िल्में भी पात्रता रखेंगी।

2.6 किसी भी व्यक्ति, निर्माता, निर्माता एकक, सरकारी संगठन, कंपनियों तथा फ़िल्म तथा मीडिया संस्थानों के विद्यार्थियों से अधिकतम 7 प्रविष्टियां ही स्वीकार की जाएंगी। फ़िल्म और मीडिया संस्थानों से प्रविष्टि इस आधार पर स्वीकार की जायेगी कि वह फ़िल्म गैर-कथाचित्र/डिप्लोमा के अन्तिम वर्ष के छात्र की हो तथा विधिवत रूप से यह भी प्रमाणित किया जाना चाहिए कि वह इस संस्थान के छात्र की स्वतंत्र रूप से बनाई फ़िल्म हो।

फ़िल्म की प्रविष्टि प्रक्रिया

3. प्रविष्टि के साथ निम्नलिखित भी भेजा जाए:-

(क) फ़िल्म समारोह निदेशालय (अनुसूची III) एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय (अनुसूची IV) हेतु प्राधिकार पत्र

(ख) कथासार (250 शब्दों से कम) (68nfa.dff@gmail.com पर ई मेल भी करें)

(ग) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड जारी प्रमाण पत्र की दो प्रमाणित प्रतियां।

(घ) शपथ पत्र (अनुलग्नक VI)

(ङ) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।

(च) 5900/-रु. (18% जीएसटी सहित) का एक गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन जमा करते समय ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए।

(छ) फ़िल्म का प्रिन्ट (प्रिन्ट अथवा डीसीपी/ ब्लूरे/ पेन ड्राइव/ वीडियो डिजिटल प्रारूप में बनाई गई फ़िल्मों के मामले में)

(ज) निर्माता, निर्देशक, कैमरामैन, संगीत निर्देशक, ध्वनि आलेखक, संपादक, प्राक्कथक, संगीत निर्देशक, एनीमेटर (कार्टून फ़िल्मों के मामले में) की संक्षिप्त जीवनियां और प्रत्येक के दो-दो फोटो (केवल 68nfa.dff@gmail.com पर ई-मेल द्वारा भेजे जाएं)

अनुसूची II

पुरस्कार की श्रेणियां

(i) सर्वश्रेष्ठ गैर-फीचर फिल्म

(क) निर्माता को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को स्वर्ण कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ii) निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ प्रथम गैर-फीचर फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(iii) सर्वश्रेष्ठ मानवशास्त्रीय/मानवजातीय फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(iv) सर्वश्रेष्ठ जीवनी/ ऐतिहासिक पुनर्निर्माण/ संकलन फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(v) सर्वश्रेष्ठ कला/ सांस्कृतिक फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(vi) सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक एवं तकनीकी फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(vii) सर्वश्रेष्ठ प्रोत्साहन देने वाली फिल्म (पर्यटन, निर्यात, कारीगरी, उद्योग विषयों को शामिल

करना

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(viii) कृषि सहित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फ़िल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ix) सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म (यथा- मद्यनिषेध, महिला एवं बाल सशक्तिकरण, सामाजिक बुराईयां जैसे-दहेज़ प्रथा, नशीले पदार्थों से हानि इत्यादि, विकलांगता, जनजातीय तथा देशज व्यक्ति इत्यादि)

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(x) सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक फ़िल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xi) सर्वश्रेष्ठ गवेषणा साहसी फ़िल्म (खेलों को शामिल करना)

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xii) सर्वश्रेष्ठ खोजी फ़िल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xiii) सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फ़िल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) एनिमेटर को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xiv) निर्णायक मंडल का विशेष पुरस्कार

रजत कमल और 1,00,000/- रुपये का नकद पुरस्कार निर्णायक मंडल के विवेकानुसार ऐसी फिल्म या व्यक्ति को दिया जाता है, जिसे पहले कोई पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है।

(xv) सर्वश्रेष्ठ लघु कल्पित फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xvi) पारिवारिक मूल्यों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म

(क) निर्माता को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xvii) सर्वश्रेष्ठ निर्देशन

(ख) निर्देशक को रजत कमल और 1,50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xviii) सर्वश्रेष्ठ छायांकन

कैमरामैन को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xix) सर्वश्रेष्ठ ध्वनि आलेखन

अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xx) सर्वश्रेष्ठ ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट

ऑन लोकेशन साउंड रिकॉर्डिस्ट को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxi) सर्वश्रेष्ठ संपादन

संपादक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxii) सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन

संगीत निर्देशक को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

(xxiii) सर्वश्रेष्ठ प्रकथन/ वायस ओवर

सर्वश्रेष्ठ प्रकथन/वायस ओवर आर्टिस्ट को रजत कमल और 50,000/- रुपये का नकद पुरस्कार

प्रविष्टि प्रपत्र

गैर-फीचर फ़िल्म

टिप्पणी

1. इस प्रपत्र को भरने में अत्यधिक सावधानी बरतें। आवेदन पत्र के प्रत्येक कॉलम में प्रविष्टि किया गया विवरण पुरस्कार के लिए अंतिम माना जाएगा, इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी विवरण बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
2. निर्माता/निर्माण कंपनी यह सुनिश्चित करें कि प्रविष्टि पत्र में दिये गये नाम फ़िल्म में दिये गये नाम क्रेडिट टाइटल्स के अनुरूप ही हों।
3. प्रविष्टि प्रपत्र के कॉलम 14 में सूचना देते समय निर्माता/निर्माण कंपनी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसमें उसका पूरा पता, ई-मेल का पता, टेलीफोन नं., मोबाइल फोन नं., फैक्स नं.(यदि कोई हो) दिया जाये।
4. ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म की अंतिम तिथि 12 मार्च 2021 (शाम 6 बजे तक) है। आवश्यक सामग्री के साथ भरे हुए ऑनलाइन फार्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 19 मार्च 2021 है (टिप्पणी : आवेदन जमा करने के दोनों संस्करण समान होने चाहिए)

1. फ़िल्म का शीर्षक:

(क) रोमन लिपि में

(ख) देवनागरी में

(ग) फ़िल्म शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद

2. भाषा: (यदि फ़िल्म में संवाद ना हों तो इंगित करें):

3. क्या फ़िल्म का उपशीर्षक अंग्रेजी में है

4. क्या यह निर्देशक की पहली फ़िल्म है: हां/नहीं:

5. फ़िल्म की लम्बाई मीटरों में (यदि फ़िल्म प्रारूप में है): (जैसे कि सेंसर प्रमाण पत्र में प्रमाणित है)

6. कितने समय की है (मिनट):

7.रीलों/टैपों की संख्या

8.प्रारूप: 35 मि.मी/डीसीपी/ब्लू रे/पेन ड्राइव

(क) आस्पेक्ट अनुपात

(ख) साउन्ड सिस्टम: ऑप्टिकल मोनो/डोल्बी/डीटीएस या अन्य

9. रंगीन/श्वेत श्याम

10. सेंसर प्रमाणपत्र की संख्या तथा तारीख. कंपनी का पंजीकरण विवरण: (यदि कोई है)

11. शीर्षक का पंजीकरण विवरण: (यदि कोई है)

12. निम्नलिखित व्यक्तियों के नाम, पता, तथा टेलीफोन नं.

(क) निर्माता:

(i) क्या भारतीय नागरिक हैं: (हां/नहीं) (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(ii) भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य):

(iii) यदि किसी फिल्म के एक से अधिक निर्माता हैं और फिल्म पुरस्कार के लिए नामित होती है तो कृपया केवल एक निर्माता का नाम लिखें जो अन्य निर्माताओं की ओर से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।

(ख) निर्देशक (क्या भारतीय नागरिक है: (हां/नहीं) (यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें)

(ग) सिनेमेटोग्राफर:

टिप्पणी: कृपया स्पष्ट करें कि यदि फिल्म डिजिटल/वीडियो प्रारूप में शूट की गई है।

(घ) ध्वनि आलेखक: अंतिम मिश्रित ट्रैक के पुनः ध्वनि आलेखक

(ङ) संपादक:

(च) संगीत निर्देशक:

टिप्पणी: कृपया उल्लेख करें कि संगीत मौलिक है

(छ) प्रकथन/वाँयस ओवर कलाकार:

13. फिल्म का प्रिन्ट निम्नलिखित पते पर वापस भेजा जाए:

नाम:

डाक का पता (पिन कोड सहित): दूरभाष: मोबाइल:

कार्यालय: फ़ैक्स: ईमेल: वेबसाइट

14. प्रविष्टि शुल्क के ऑनलाइन प्रस्तुति के ब्यौरे

(क) भुगतान की तिथि

(ख) शुल्क रु.

(ग) रसीद सं./ भुगतान का विवरण

(घ) भुगतान की रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी)

15. फिल्म समारोह निदेशालय तथा राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के पक्ष में प्राधिकार पत्र संलग्न हैं:- हां/नहीं

16. (क) मुझे/हमें इस फिल्म का निर्णायक मंडल के लिए या इसके किसी पैनल के लिए अथवा उत्कृष्ट भारतीय सिनेमा के प्रतिनिधि के रूप में शामिल इस फिल्म के प्रोत्साहन के लिए भारत अथवा विदेश में फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा आयोजित/प्रोत्साहित विभिन्न फिल्म समारोहों/विशिष्ट आयोजनों में अव्यापारिक आम प्रदर्शन किसी भी प्रारूप (प्रिंट अथवा डिजिटल) में तथा फोटो/पोस्टर/ट्रेलर/दृश्य क्लिपिंग के माध्यम से फिल्म के प्रोत्साहन एवं उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है। मैं/हम यह भी विश्वास दिलाता हूं/दिलाते हैं कि भविष्य में यदि फिल्म के अधिकार किसी भी क्षेत्र में व्यापारिक/अव्यापारिक रूप से किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को दे दिए जाते हैं तब भी यह अनापत्ति फिल्म समारोह निदेशालय के लिए मान्य रहेगी।

(ख) फिल्म समारोह निदेशालय के पास यह अधिकार निहित है कि वह अपने व्यय में कोई भी भारतीय या विदेशी भाषा में फिल्मों का उपशीर्षक दे सकता है और अधिकार धारक को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा के बाद भारत और विदेश में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्म की स्क्रिप्ट (ई एस टी) जल्द ही प्रस्तुत करना होगा।

(ग) निर्णायक मंडल की स्क्रीनिंग के लिए प्रस्तुत सभी पुरस्कार विजेता फिल्म प्रिंट / डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड) / ब्ल्यू रे/पेन ड्राइव भारत और विदेश में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग के लिए फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा रखा जाएगा।

17. (क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/ हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) निर्णायक मंडल सिफारिश करेगा जिसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदन किया जाएगा और मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(ग) मैं/हम मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी मानने के लिए सहमत हूं।

(घ) मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम मंत्रालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील तथा पत्राचार नहीं करेंगे।

18. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि प्रविष्टि की गई किसी फ़िल्म के रूपांतरण, डब/संशोधित/नकल किया हुआ नहीं है।

19. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि फ़िल्म में अधिगृहीत दृश्यों के लिए यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है एवं इसे शीर्षकों में दर्शाया भी गया है।

20. मैं/हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

21. मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि फ़िल्म किसी भी रूप में भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 का उल्लंघन नहीं करती।

22 मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त दी गई सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी के अनुसार ठीक हैं तथा कथित फ़िल्म के नामोल्लेख के अनुकूल हैं। मैं/हम यह भी स्वीकार करता हूँ/करते हैं कि निदेशालय को यह पूर्ण अधिकार है कि यदि उन्हें लगे कि प्रविष्टि में प्रदत्त सूचनाएं, अधूरी या गलत हैं तो उसे किसी भी स्तर पर अस्वीकार कर सकते हैं।

हस्ताक्षर

(मुहर):

तारीख:

प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता तथा टेलीफोन नंबर.

पता:

टेलीफोन नंबर (कार्यालय) (निवास) मोबाइल

फैक्स: ईमेल:

गैर फ़ीचर फ़िल्म

फ़िल्मों के लिए जांच सूची

1. ऑनलाइन प्रविष्टि प्रपत्र की हार्ड कॉपी (दो प्रतियां)
2. ऑनलाइन द्वारा प्रस्तुत प्रविष्टि शुल्क (गैर फ़ीचर फ़िल्म के लिए 18% जीएसटी सहित 5,900/- रु.)
3. फ़िल्म समारोह निदेशालय एवं राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय हेतु प्राधिकार पत्र
4. शपथ-पत्र (अनुलग्नक 1)
5. केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड का प्रमाण पत्र
6. भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।
7. ब्लूरे/डीसीपी/ और पेन ड्राइव
8. गीत की मूल भाषा की एक सी डी एवं उसका अंग्रेज़ी अनुवाद।
9. कथासार, निर्देशक की फोटो, फ़िल्म की तस्वीरें और फ़िल्म का ट्रेलर अनिवार्य रूप से प्रविष्टि पत्र के साथ डीवीडी/पेन ड्राइव के साथ ईमेल 68nfa.dff@gmail.com के जरिए भी जमा किया जाए।

68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020

शपथ पत्र (गैर-फ़ीचर फ़िल्म हेतु)

(20 रुपये या अधिक के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करें)

फ़िल्म का शीर्षक:

मैं घोषणा करता हूँ कि:

- (1) प्रविष्टि प्रपत्र तथा अन्य प्रपत्रों में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं।
- (2) प्रमाणित किया जाता है कि प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित नाम क्रेडिट शीर्षक में दिए गए नामों के समान ही हैं।
- (3) प्रस्तुत फ़िल्म का प्रिन्ट/वीडियो केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित पहला मूल संस्करण है।
- (4) केन्द्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा मूल प्रमाणन प्राप्ति के पश्चात फ़िल्म/वीडियो में कोई फेरबदल नहीं किया गया है।
- (5) मेरी फ़िल्म का संगीत मौलिक है।
- (6) सम्पूर्ण फुटेज मौलिक है।
- (7) फ़िल्म में जहां भी संचित दृश्यों को प्रयोग किया है उसकी यथोचित अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई है और:
 - (क) मैं संचित दृश्यों की पूरी सूची प्रत्येक शॉट की अवधि के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - (ख) मैं संचित दृश्यों के प्रयोग के प्राधिकार के अनुज्ञप्ति पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - (ग) प्रमाणित किया जाता है कि प्रयुक्त संगीत मौलिक है।

निर्माता का नाम: -----

पता: -----

मोबाइल: -----

दूरभाष (का.) -----

भाग-द
सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

विनियम

पुरस्कार:

1. इस वर्ग में निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे:

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक

(क) पुस्तक के लेखक/लेखकों को स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार। संयुक्त लेखकों की दशा में नकद पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बराबर-बराबर बांटा जाएगा।

(ख) पुस्तक के प्रकाशक को स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक:

स्वर्ण कमल और 75,000/- रुपये का नकद पुरस्कार।

पात्रता:

2.1 01 जनवरी 2020 तथा 31 दिसम्बर 2020 (दोनों दिन शामिल) के बीच सिनेमा पर किसी भी भाषा में भारत में प्रकाशित कोई भी पुस्तक पुरस्कार के लिए पात्र है।

2.2 सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक पुरस्कार 01 जनवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2020 तक की अवधि में किसी भी भाषा में भारतीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और जर्नल में सिनेमा पर प्रकाशित समालोचनात्मक अध्ययनों के लिए, सर्वश्रेष्ठ समीक्षक को दिया जाएगा।

2.3 उसी लेखक के उन लेखों के संग्रह, जो पात्रता की अवधि के अन्दर पुस्तक के रूप में प्रकाशित किए गए हों, भी पात्र हैं।

2.4 अनुवाद, संक्षेप तथा सम्पादित या समीक्षा और पुनर्मुद्रण संबंधी रचनाएं पात्र नहीं हैं।

2.5 लेखक/समीक्षक भारतीय नागरिक होना चाहिए।

2.6 आयोजकों के स्टाफ के किसी सदस्य द्वारा लिखी पुस्तक और/ अथवा किसी लेख को प्रविष्टि की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.7 लेख प्रिन्ट मीडिया के उन नियमित प्रकाशनों या समाचार पत्रों में प्रकाशित होना चाहिए जो कि भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय (आर.एन.आई.) में पंजीकृत हों।

प्रविष्टि की प्रक्रिया:

3.1 सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि उसके लेखक या

प्रकाशक द्वारा की जा सकती है। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार के मामले में प्रविष्टि स्वयं समीक्षक द्वारा अथवा समाचार पत्र/पत्रिका/जर्नल के प्रकाशक/संपादक द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है परन्तु पुरस्कार केवल लेखक/समीक्षक को ही दिया जाएगा।

3.2 प्रकाशक/कम्पनी भारतीय होने चाहिए।

3.3 भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति संलग्न करें (अनिवार्य)।

3.4 निदेशालय के विचार के लिए प्रकाशक/लेखक के पूरे पते के साथ पुस्तकें/लेखों की अनुसंशा फेडरेशन ऑफ़ फ़िल्म सोसाइटीज ऑफ़ इंडिया से सम्बद्ध संस्थाओं, फ़िल्म फेडरेशन ऑफ़ इंडिया, साहित्य कला अकादमियों या किसी भी मान्यता-प्राप्त साहित्य- सांस्कृतिक संगठन द्वारा की जा सकती है। फिर निदेशालय पुरस्कारों के लिए विचार हेतु इस प्रकार के लेखकों से अपनी पुस्तकों/लेखों की प्रविष्टि भेजने हेतु सम्पर्क करेगा। यदि कोई प्रकाशक/लेखक पुरस्कारों के लिए अपनी रचनाओं की प्रविष्टि नहीं करता है तो उन पर निर्णायक मंडल द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।

3.5 सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में प्रविष्टि फार्म के साथ निम्नलिखित भेजा जाएगा:

(क) पुरस्कार के लिए प्रविष्टि पुस्तक की 5 प्रतियां।

(ख) पुस्तक के सारांश की अंग्रेजी/हिंदी में 5 प्रतियां।

(ग) लेखक/लेखकों तथा प्रकाशक/प्रकाशकों का संक्षिप्त जीवनवृत्त (200 शब्दों में) (अंग्रेजी/हिन्दी में) ।

(घ) लेखक/लेखकों की उच्च रेज्यूलेशन के 5 फोटो और पुस्तक के कवरपेज की स्कैन की हुई प्रति।

3.6 सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक के पुरस्कार हेतु प्रविष्टियों के मामले में, प्रविष्टि प्रपत्र के साथ निम्नलिखित भेजे जाएं:-

(क) रचनाओं की कतरन जो 5 से कम तथा 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(1) समाचार पत्रों, प्रकाशनों आदि के नाम, जिनमें ये छपी हों।

(2) प्रकाशन की तारीख/स्थान। प्रविष्टि पत्र के साथ प्रत्येक कतरन की 5-5 छायाप्रतियां अवश्य संलग्न हों।

(ख) समीक्षक का संक्षिप्त हिंदी या अंग्रेजी में जीवन-वृत्त (अधिकतम 250 शब्दों में)।

(ग) समीक्षक के कार्य की उच्च रेज्यूलेशन 5 तस्वीरें।

3.7 5900 /- रु. (18% जीएसटी सहति) का एक गैर वापसी योग्य प्रवेश शुल्क ऑनलाइन प्रवेश फार्म जमा करते समय ऑनलाइन प्रति के साथ ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए।

68 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

प्रविष्टि प्रपत्र

प्रकाशक निर्धारित ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म पर आवेदन कर सकते हैं। एनएफए 2020 के प्रविष्टि पत्र और विनियम वेबसाइट www.dff.gov.in पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन प्रविष्टि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 12 मार्च 2021 (शाम 6 बजे तक) है। आवश्यक सामग्री के साथ भरे गए ऑनलाइन फॉर्म की हार्ड कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तारीख 19 मार्च 2021 है (नोट: आवेदकों द्वारा जमा आवेदन पत्र के दोनों संस्करण समान होने चाहिए)

1- सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिए पुरस्कार:-

(1) पुस्तक का शीर्षक (स्पष्ट अक्षरों में)

(क) मूल भाषा में:

(ख) अंग्रेजी में:

(ग) पुस्तक शीर्षक का अंग्रेजी अनुवाद:

(घ) भाषा

(ङ) लेखक का नाम

(च) प्रकाशन की तारीख

(छ) पृष्ठों की संख्या:

(ज) मूल्य

2. सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म समीक्षक के लिए पुरस्कार

(1) लेखक/समीक्षक का नाम:

(2) लेख/समीक्षा का शीर्षक/ भाषा/ समाचार पत्र/ पत्रिका/जर्नल का नाम/ समीक्षा या लेखन की तिथि/ प्रकाशक का नाम

(3) क्या प्रकाशन भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) से पंजीकृत है यदि हां तो (आरएनआई) पंजीकरण संख्या:

3. लेखक/ आलोचक का नाम, पता और टेलीफोन नंबर:

4. ऑनलाइन प्रवेश शुल्क का विवरण

(क) भुगतान तिथि

(ख) रु. का शुल्क

(ग) रसीद संख्या/ भुगतान संदर्भ

(घ) भुगतान रसीद संलग्न करें (स्कैन कॉपी)

5. (क) पुस्तक के प्रकाशन/समाचार पत्र (पत्रों) के संपादक (संपादकों) का (के) नाम, पता (पते) और दूरभाष संख्या या लैंडलाइन तथा मोबाइल, ई-मेल पता तथा फैक्स न., (यदि हो) नागरिकता विवरण सहित:

(ख) लेखक/समीक्षक (क्या भारतीय नागरिक है) यदि नहीं तो नागरिकता प्राप्त देश का उल्लेख करें।

6. प्रविष्टि भेजने वाले व्यक्ति का नाम पता और टेलीफोन नं (लैंडलाइन तथा मोबाइल) आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं सत्यापित प्रति (अनिवार्य), ई-मेल पता तथा फैक्स न. (यदि हो)।

7.(क) मैंने/हमने राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार विनियम देख लिए हैं और मैं/हम इन विनियमों को स्वीकार करते हैं।

(ख) निर्णायक मंडल सिफारिश करेगा, जिसको सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा।

(ग) मैं/हम मंत्रालय के निर्णय को अंतिम तथा बाध्यकारी मानने के लिए सहमत हूं।

मैं/हम सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए जूरी के निर्णय को अंतिम और बाध्यकारी स्वीकार करने को तैयार हूँ।

(घ) मंत्रालय का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी माना जाएगा और मैं/हम मंत्रालय के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील अथवा पत्राचार स्वीकार नहीं करेंगे।

दिनांक:

हस्ताक्षर:

सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन

जांच सूची

1. प्रविष्टि प्रपत्र
2. भारत सरकार द्वारा जारी आवेदक की फोटो आईडी या आधार कार्ड की स्वयं-सत्यापित प्रति (अनिवार्य)।
3. प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा किया जाना है।
(सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन के लिए 5,900 रुपये/-, 18% जीएसटी टीसहित)
4. पुस्तक की 05 प्रतियां
5. प्रत्येक कतरन की 05 प्रतियां (कम से कम 5 तथा अधिकतम 10)
6. लेखक/ प्रकाशक/ समीक्षक की प्रोफाइल केवल ई मेल 68nfa.dff@gmail.com द्वारा।
7. लेखक/समीक्षक के फोटो/प्रकाशक का लोगो।

अनुसूची-III

प्राधिकार पत्र

68 वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020

फ़िल्म समारोह निदेशालय

प्राधिकार पत्र (निर्माता और निगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)।

विषय: फ़िल्म का शीर्षक

महोदय,

हम आपको 35 मि.मि. में रंगीन या श्वेत-श्याम पॉजिटिव प्रिंट/ डीसीपी/ ब्लूरे और फ़िल्म के श्वेत और उसे फ़िल्म समारोह निदेशालय नई दिल्ली को भेजने के लिए प्राधिकृत करते हैं। प्रिंट/डीसीपी/ब्लूरे (रीजन फ्री पीएल) का उपयोग निदेशालय द्वारा भारत और विदेशों में फ़िल्म समारोहों, फ़िल्म सप्ताहों और अन्य गैर-वाणिज्यिक प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए किया जाएगा। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि डीएफएफ के पास भारत और विदेशों में गैर-वाणिज्यिक स्क्रीनिंग का अधिकार रहेगा। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि डीएफएफ के पास गैर-वाणिज्यिक समारोह के स्क्रीनिंग प्रयोजनों का अधिकार जारी रहेगा, भले ही अधोहस्ताक्षरी ने किसी संगठन एजेंसी को क्षेत्र के अधिकारों पर हस्ताक्षर या बिक्री की हो।

वांछित प्रारूप में फ़िल्म की प्रतिलिपि बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा की जाएगी, जो सीधे निर्माता/ कॉपीराइट धारक के साथ प्रोसेसिंग शुल्क का निपटान करेगा।

(हस्ताक्षर और मोहर)

(हस्ताक्षर और मोहर)

निगेटिव अधिकार धारक)

(निर्माता)

यदि इस फ़िल्म को पुरस्कार मिलता है तो निदेशालय से अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से एक महीने के अन्दर निदेशालय की लागत पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा उन्हें फ़िल्म की एक वीडियो प्रति सप्लाई की जाएगी। यदि ऊपर निर्धारित समयावधि के अन्दर अधोहस्ताक्षरी द्वारा वीडियो प्रति सप्लाई नहीं की जाती है तो निदेशालय को अपने खर्च पर एक वीडियो प्रति बनवाने का अधिकार होगा।

(हस्ताक्षर और मोहर)

(हस्ताक्षर और मोहर)

निगेटिव अधिकार धारक/कॉपीराइट धारक)

(निर्माता)

नोट- 35 मिमी फ़िल्म प्रारूप के मामले में प्रिंट बनाने के लिए निर्माता/निगेटिव अधिकार धारक द्वारा प्रयोगशाला को आवश्यक अनुमति/निर्देश दिए जाने चाहिए

अनुसूची-IV
प्राधिकार पत्र 68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020
भारत का राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय

प्राधिकार-पत्र (निर्माता और निगेटिव अधिकार धारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)।

विषय: फ़िल्म का शीर्षक

महोदय,

हम आपको उपरोक्त फ़िल्म की 35 मि.मि. पॉजिटिव रंगीन या श्वेत - श्याम प्रिंट/डीसीपी(अनएन्क्रिप्टेड)/ब्लू रे/(रीजनल फ्री पीएएल) तैयार करने तथा उसे प्रभारी परिरक्षण एवं अभिलेख हेतु राष्ट्रीय भारत का राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय, पुणे को भेजने का प्राधिकार देते हैं।

वांछित प्रारूप में फ़िल्म की प्रतिलिपि बनाने के लिए आवश्यक व्यवस्था राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय द्वारा की जाएगी, जो सीधे निर्माता/ कॉपीराइट धारक के साथ प्रोसेसिंग शुल्क का निपटान करेगा।

प्रिंट/डीसीपी (अनएन्क्रिप्टेड)/ब्लू रे (रीजनल फ्री पीएएल) को एनएफएआई, पुणे को भेजा जाए और उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

प्रिंट एनएफएआई, लॉ कालेज रोड, पुणे को भेजा जाए और उसकी सूचना हमें भी दी जाए।

(हस्ताक्षर और मोहर)

निगेटिव अधिकार धारक/कॉपीराइट धारक

(हस्ताक्षर और मोहर)

निर्माता

अनुसूची- V

(उप-नियम 15 (ख) के अनुसार)

केवल जूरी सदस्यों/अध्यक्षों द्वारा भरा जाए

में एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि -

1. मैंने फ़िल्म समारोह निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई 68वें राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2020 (फीचर फ़िल्म वर्ग/गैर-फीचर फ़िल्म/सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन वर्ग) की प्रविष्टियों की सम्पूर्ण सूची देख ली है। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं इन प्रविष्टियों के साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंधित नहीं हूँ और न ही इनके साथ मेरा कोई वित्तीय हित जुड़ा हुआ है।
2. मैं अपनी सहमति देता हूँ कि यदि मेरी स्वयं की किसी फ़िल्म की प्रविष्टि होती है तो मैं जूरी की सदस्यता के अयोग्य होऊंगा।
3. मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि यदि मेरे निकट/रक्त संबंधी (जैसे-पुत्र, पुत्री, मामा/मामी, चाचा/चाची, प्रथम रिश्तेदार, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी, दादा, दादी, माता-पिता, भाई, बहन) या विवाह होने से किसी विशिष्ट फ़िल्म से संबंधित होता हूँ (चाहे व्यक्तिगत हो या वित्तीय), तो मैं इसके विषय में जूरी स्क्रीनिंग शुरू होने से पहले लिखित में घोषणा कर दूंगा और स्वयं उस फ़िल्म के पूर्वावलोकन से अलग रहूंगा। मैं यह भी सहमति देता हूँ कि यदि इस फ़िल्म पर पुरस्कार के लिए वोट होता है तो मेरा वोट न गिना जाए।
4. मैंने 68वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, 2020 से संबंधित विनियमों को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूंगा।
5. मैं जूरी की चर्चा को गोपनीय रखूंगा। मुझे इस बात की जानकारी है कि यदि मुझसे गोपनीयता बनाए रखने का उल्लंघन होता है तो मुझे जीवन भर के लिए राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार, भारतीय पैनोरमा और भारत का अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म समारोह में जूरी सदस्य बनाने हेतु प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

नई दिल्ली

दिनांक

हस्ताक्षर _____

नाम व पता _____

संपर्क विवरण _____